28 vi\`y 2022 dks vk;ksftr jk"Vªh; dkS'ky ;ksX;rk lfefr ¼,u,lD;wlh½ dh 18oha cSBd dk dk;Zo`Rr

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) में आयोजित राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) की 18वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनसीवीईटी के अध्यक्ष डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता में 28 अप्रैल 2022 को आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध– I में संलग्न है।
2. बैठक में कार्यसूची मदों के संबंध में समिति द्वारा लिए गए निर्णय अगले पैरा में दिए गए हैं।

,tsMk&01% 31 ekpZ 2022 dks vk;ksftr ,u,lD;wlh dh 17oha cSBd ds dk;Zo`Ùk dh iqf"V

3. समिति ने 31 मार्च 2022 को आयोजित एनएसक्यूसी की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की

,tsMk&02% ,u,lD;wlh dh 17oha cSBd esa fy, x, fu.kZ;ksa ij dh xbZ dkjZokbZ dh fjiksVZ

4. एनएसक्यूसी की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदाता निकायों से सशर्त रूप से अनुमोदित योग्यताओं का अनुपालन प्राप्त हुआ था और राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड किया गया था। लंबित अनुपालनाओं पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई हैः

4.1. एचएसएससीः एनएसक्यूसी सदस्यों के निम्नलिखित सुझावों के बाद दो योग्यताओं अर्थात् 'सामान्य कार्य सहायक–प्रशिक्षु' और 'गृह स्वास्थ्य सहयोगी–प्रशिक्षु' को मंजूरी दी गई थीः

4.1.1 सामान्य कार्य सहायक और गृह स्वास्थ्य सहयोगी में एनसीवीईटी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए छात्र को स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ओजेटी के रूप में अतिरिक्त प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होगी। एचएसएससी द्वारा अनुपालन के लिए निर्णय नोट किया गया है। उक्त दो कार्य भूमिकाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को 'सामान्य कार्य सहायक' और 'गृह स्वास्थ्य सहयोगी' में एनसीवीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक सभी लोगों के लिए स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद ओजेटी के 580 घंटे की अपेक्षित संख्या पूरी करने के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा।

4.1.2. हेल्थकेयर एसएससी ओजेटी के संचालन के लिए एनसीवीईटी को एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना के बारे में जानकारी देगा और उन छात्रों के लिए इसका मूल्यांकन करेगा जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक हो सकते हैं और ऐसे सभी प्रशिक्षुओं के बीच जागरूकता पैदा कर सकते हैं। समिति को सूचित किया गया कि एचएसएससी

से विस्तृत कार्यान्वयन योजना की प्रतीक्षा है। समिति ने एचएसएससी को अगले एनएसक्यूसी से पहले कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करने और एजेंडा पर लंबित अनुपालना पर कार्रवाई को पूरा करने का निर्देश दिया।

4.1.3. डीओएसईएल और एचएसएससी को दो योग्यताओं, अर्थात 'सामान्य कार्य सहायक–प्रशिक्षु' और 'गृह स्वास्थ्य सहयोगी–प्रशिक्षु' को लागू करने के लिए भविष्य की कार्य योजना के लिए सामान्य सहमति बनाने के लिए एक संयुक्त बैठक का आयोजन करने सलाह दी गई। डीओएसईएल और एचएसएससी को 15 मई 2022 तक लम्बित कार्रवाई बिंदुओं को शिघ्र पूरा करने के लिए आग्रह किया गया।

4.2. एनसीवीईटी द्वारा एक संयुक्त कार्य समूह का गठनः समिति ने डीओएसईएल, सीबीएसई, एनसीईआरटी और पीएसएससीआईवीई के साथ एक संयुक्त कार्य समूह का गठन करने का सुझाव दिया था ताकि स्कूली शिक्षा में कार्यान्वयन के लिए योग्यता को अपनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुगम बनाया जा सके। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक 12 अप्रैल 2022 को आयोजित की गई थी। विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और जिन पर सहमति हुई, उन्हें एक अलग एजेंडा संख्या 3 के रूप में समिति के समक्ष प्रस्तावित किया जा रहा है।

4-3- ykbu ea=ky; dh lgefr çkIr djus ds fy, le;&lhek dk ikyu%

समिति ने सलाह दी थी कि एमएसडीई से अनुरोध किया जाए कि वे कौशल योग्यता
से संबंधित सभी मंत्रालयों को एक लिखित सूचना भेजें ताकि संबंधित प्रदाता
निकाय या एनसीवीईटी द्वारा उन्हें किए गए संचार का जवाब देने के लिए प्राथमिक दी
जा सके। आगे यह अनुरोध किया गया था कि उन्हें प्रस्तावित योग्यताओं पर निर्धारित
चार (04) सप्ताह के अंदर अपनी टिप्पणी/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की सलाह दी जा
सकती है और एमओएचएफडबल्यु और विमानन मंत्रालय के मामले में, क्योंकि ये
विनियमित क्षेत्र में हैं, उनकी टिप्पणियां आठ (08) सप्ताह के अंदर दाखिल करने का
आग्रह किया जा सकता है। समीति को यह जानकारी दी गई कि एमएसडीई को एनसीवीईटी के पत्र क्रमांक 20004/01/202/एनसीवीईटी दिनांकित 25 अप्रैल 2022के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

4.3.1 समिति ने सलाह दी कि कौशल पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे एक नोडल अधिकारी (सरकारी अधिकारी) को नामित करें और सम्पर्क और संचार में आसानी के लिए एनसीवीईटी और संबंधित प्रदाता निकाय के साथ अपने संपर्क विवरण साझा करें। यह सूचित किया गया कि संबंधित मंत्रालयों के नोडल अधिकारी के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही थी। अध्यक्ष, एनएसक्यूसी ने एनसीवीईटी को एमएसडीई के परामर्श से प्रत्येक लाइन मंत्रालय के साथ व्यक्तिगत रूप से मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

4.3.2 समिति ने एनसीवीईटी को यह सलाह भी दी कि संबंधित मंत्रालयों से सभी हितधारकों की एक वास्तविक बैठक आयोजित की जाए ताकि इस संबंध में जागरूकता बढाई जा सके और यह दिखाया जा सके कि सभी हितधारक योग्यता सहित कौशल

पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक आम मंच पर आते हैं। समिति को सूचित किया गया कि एक पत्र भेजा गया है और एनसीवीईटी में 04 मई 2022 को बैठक निर्धारित की गई है।

4-4 ,l lhihMCY;Mh }kjk viukbl xbl lHkh ;kX;rkvk d fy, vyx ;kX;rk dkM fu/kkfjr djuk% समिति ने निर्णय किया कि संबंधित डोमेन एसएससी से एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा अपनाई गई सभी योग्यताओं को नई योग्यता माना जाएगा और यह राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर एक अलग योग्यता कोड के साथ प्रदर्शित होगी। समिति को बताया गया कि इस संबंध में अनुपालन को पूरा कर लिया गया है।

4-5 ,lihbl,Q,y&,llh ¼LikV`ll ,l,llh½% तीन (03) योग्यताएं, अर्थात 'प्रारंभिक आयु में शारीरिक गतिविधि सहायक, प्राथमिक आयु में शारीरिक गतिविधि सहायक और 'आत्मरक्षा सहायक' को मंजूरी नहीं दी गई थी। एनएसक्यूएफ ने एसपीईएफएल एसएससी को सलाह दी थी कि 16वें एनएसक्यूसी के एमओएम द्वारा परिचालित नए मानकीकृत एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार विभिन्न मानक मापदंडों पर निर्णय लेने के लिए सीबीएसई और डीओएसईएल के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग बैठक आयोजित की जाए और विचार के लिए प्रस्तावित योग्यता को फिर से एनएसक्यूसी में प्रस्तुत किया जाए। समिति को अवगत कराया गया कि 12 अप्रैल 2022 को एनसीवीईटी में इस संबंध में सीबीएसई, पीएसएससीआईवीई और डीओएसईएल के प्रतिनिधियों के साथ खेल एसएससी के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। चर्चा के आधार पर खेल एसएससी ने संशोधित योग्यताएं फिर से जमा कर दी हैं और इसे एजेंडा संख्या 6 के रूप में अलग से लिया गया है।

समिति ने विभिन्न हितधारकों द्वारा पूरी की गई अनुपालनाओं पर ध्यान दिया।

एजेंडा–03रू स्कूलों में एनएसक्यूएफ के अनुरूप योग्यता के कार्यान्वयन के लिए तंत्र

5. समिति को स्कूल शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार डीओएसईएल द्वारा एनक्यूआर से एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताओं के चयन और कार्यान्वयन की वर्तमान प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया। योग्यताओं को अनुकूलित करते हुए डीओएसईएल योग्यताओं में कुछ संशोधन करता है जो स्वीकृत मूल योग्यता के साथ गैर–अनुरूपता की ओर ले जाता है। यह चर्चा की गई कि एनक्यूआर से डीओएसईएल द्वारा योग्यता को अपनाने की वर्तमान प्रणाली कई सूचना अंतराल पैदा करती है जिससे स्कूल बोर्डों द्वारा एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यता के कार्यान्वयन में कठिनाई होती है।
6. इसलिए यह महसूस किया गया कि सूचना के इस अंतर को दूर करने और स्कूल स्तर पर अपनाई गई योग्यताओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एनक्यूआर से एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यता को अपनाने के लिए एक सरल लेकिन मजबूत तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। तदनुसार, 12 अप्रैल 2022 को 'स्कूलों में एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताओं के कार्यान्वयन के

लिए तंत्र पर दिशानिर्देश' तैयार करने के लिए डीओएसईएल, सीबीएसई, एनसीईआरटी और पीएसएससीआईवीई के सदस्यों के साथ कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी की अध्यक्षता के अंतर्गत एक संयुक्त कार्य समूह का आयोजन किया गया।

7. संयुक्त कार्य समूह के सदस्यों द्वारा सहमत विभिन्न पहलुओं को समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया था। विस्तृत प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं:

7.1 पीएसएससीआईवीई देश भर के स्कूलों में एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यता के कार्यान्वयन के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत योग्यता को अपनाने के लिए नोडल निकाय होगा जिसमें संबंधित एबी के परामर्श से योग्यता को अपनाना भी शामिल है।

7.2 पीएसएससीआईवीई योग्यताओं को अपनाते हुए निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा:

7.2.1 विद्यालयों में कार्यान्वयन के लिए अपनाई जा रही योग्यताओं की कम से कम 2 वर्ष वैद्यता शेष है।

7.2.2 यदि चल रहे बैच के पूरा होने के बाद बीच में कोई योग्यता समाप्त हो जाती है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योग्यता का नवीनतम संस्करण स्कूलों में लागू किया गया है।

7.2.3 स्वास्थ्य और विमानन जैसे विनियमित क्षेत्रों के मामले में, केवल प्रासंगिक और नवीनतम योग्यताएं ही लागू की जाएंगी।

7.3 डीओएसईएल विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत स्कूलों में अपनाई जाने वाली योग्यताओं के चयन के लिए पहले से मौजूद एसओपी में उपयुक्त संशोधन कर सकता है।

7.4 ऐच्छिक के साथ संशोधित योग्यताओं को अपनाते समय, पीएसएससीआईवीई/डीओएसईएल योग्यताओं को लागू करने के लिए अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार विशिष्ट ऐच्छिक का चुनाव कर सकते हैं। ऐसी योग्यताओं के लिए एनसीवीईटी द्वारा इस संबंध में कार्यान्वयन का विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।

7.5 पीएसएससीआइवीई एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार अपनाई गई योग्यताएं प्रस्तुत करेगा।

7.6 एनक्यूआर पर एक नया खंड बनाया जाएगा जिसमें पीएसएससीआईवीई/डीओएसईएल द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए अपनाई गई सभी योग्यताएं प्रतिबिंबित होंगी और केवल स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के लिए उपलब्ध/लागू होंगी। सभी स्कूल बोर्ड एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताओं का चयन कर सकते हैं जो इस खंड में उनके लिए प्रासंगिक हैं।

7.7 ऐसी स्वीकृत योग्यताओं के मूल्यांकन और प्रमाणन के संबंध में निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं:

7.7.1 ऐसे सभी एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताएं समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूलों में लागू की जा रही हैं, जिनका मूल्यांकन एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसियों (एए) द्वारा संबंधित प्रदाता निकायों के माध्यम से किया जाता है और मूल्यांकन किए गए सभी छात्रों/प्रशिक्षुओं का प्रमाणन व्यक्तिगत रूप से प्रदाता निकाय द्वारा किया जाता है या स्कूल बोर्डों और संबंधित प्रदाता निकायों द्वारा संयुक्त रूप से एनसीवीईटी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

7.7.2 यदि केंद्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड दोहरी श्रेणी की मान्यता के लिए आवेदन करता है/प्राप्त करता है और एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताओं के प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन को लागू करता है, तो वे संतोषजनक मूल्यांकन करने के अधीन सीधे निर्धारित एनसीवीईटी प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

7.7.3 हालांकि, यदि केंद्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड उपरोक्त दो विकल्पों में से किसी का पालन किए बिना एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यता लागू करता है, तो ऐसी स्थिति में एनसीवीईटी प्रमाणन जारी नहीं किया जाएगा।

7.7.4 चूंकि एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यता की वैधता आम तौर पर 3 साल के लिए होती है, इसलिए पीएसएससीआईवीई को योग्यता की मूल वैधता के अलावा एक वर्ष की अतिरिक्त वैधता दी जा सकती है, जो कि ऐसी सभी योग्यताओं के संबंध में होगी, जो स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र में सुचारू रूप से परिवर्तन को सक्षम करने के लिए अपनाई गई हैं। हालांकि, यह स्वास्थ्य देखभाल और विमानन जैसे विनियमित क्षेत्रों में आने वाली योग्यताओं के लिए लागू नहीं होगा, जहां संशोधित योग्यता को मंजूरी मिलने पर अपनाया जाएगा।

7.7.5 विभिन्न एनएसक्यूएफ स्तरों के साथ कार्य भूमिकाओं में लागू रोजगार योग्यता कौशल (योग्यता के आधार पर 30 घंटे, 60 घंटे, 90 घंटे और 120 घंटे के विभिन्न मॉड्यूल, वर्तमान में कार्य चल रहा है) को शामिल करना अनिवार्य होगा।

8. पीएसएससीआईवीई के सदस्य प्रतिनिधि ने समिति से योग्यता की मूल वैधता के अतिरिक्त 2 वर्ष की अतिरिक्त वैधता पर विचार करने का अनुरोध किया क्योंकि मॉडल पाठ्यक्रम में संशोधन करने और उसके लिए पुस्तकों को प्रिंट करने में समय लगता है। अनुरोध के जवाब में अध्यक्ष, एनएसक्यूसी ने योग्यता में किए जा रहे प्रौद्योगिकियों और अन्य परिवर्तनों के साथ संशोधित/अपडेट की गई योग्यता में छात्रों को कौशल प्रदान करने के महत्व को दोहराया ताकि छात्र ऐसे कौशल प्रशिक्षण से लाभ उठा सकें और बाजार में रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि यदि पीएसएससीआईवीई या डीओएसईएल द्वारा किसी सहायता की आवश्यकता होती है, तो एनसीवीईटी और संबंधित प्रदाता निकाय आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, हालांकि

पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े हित में योग्यता के लिए मूल वैधता के ऊपर केवल एक वर्ष की अतिरिक्त वैधता प्रदान की जाएगी।

समिति ने कार्यान्वयन के लिए संयुक्त कार्य समूह के निर्णयों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया और एनसीवीईटी को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करने को कहा।

,tsMk&04% ,u,lD;w,Q dks lkFk lajsf[kr vkSj vuqeksfnr ;ksX;rkvksa dks dksM iznku djus dk ekudhdj.k

9. समिति को एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताओं के लिए योग्यता कोड निर्दिष्ट करने की वर्तमान प्रणाली के साथ–साथ विभिन्न हितधारकों, प्रदाता निकायों/एसएससी द्वारा उजागर की गई कठिनाइयों और कमियों के बारे में अवगत कराया गया।
10. निदेशक, नीति, एनसीवीईटी द्वारा प्रस्तावित एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताओं को कोड सौंपने पर संशोधित दिशानिर्देशों का एक विस्तृत विवरण समिति को प्रस्तुत किया गया।
11. नई प्रस्तावित एनक्यूआर कोडिंग प्रणाली को समिति के समक्ष रखा गया और अन्य सदस्यों और प्रतिभागियों के साथ भी चर्चा की गई। अध्यक्ष, एनएसक्यूसी द्वारा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की योजना के संबंध में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में, निदेशक नीति द्वारा यह समझाया गया कि दो चरणों में इसके कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। चरण एक में प्रदाता निकायों/एसएससी द्वारा प्रस्तुत सभी योग्यताओं को एक नया कोड सौंपा जाएगा और कार्यान्वयन के चरण दो में केंद्रीय मंत्रालयों/डीजीटी/राज्य सरकार से एबी द्वारा विकसित और स्वामित्व वाली ऐसी सभी योग्यताओं को नया योग्यता कोड सौंपा जाएगा।
12. संपूर्ण कार्यान्वयन को संबंधित हितधारकों के साथ निकट समन्वय के साथ किया जाएगा। इसके अलावा, मौजूदा कोड और संशोधित योग्यता कोड दोनों अगले आदेश तक एनक्यूआर वेबसाइट पर प्रदर्शित होते रहेंगे। छह महीने के बाद अर्थात नवंबर 2022 में इसकी समीक्षा की जाएगी।
13. समिति को आगे बताया गया कि 'राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर)' राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) में निहित डेटा की प्रामाणिकता के लिए सभी एनएसक्यूएफ गठबंधन और अनुमोदित योग्यताओं का राष्ट्रीय आधिकारिक भंडार होगा और इसका संचालन और रखरखाव एनसीवीईटी द्वारा किया जाएगा।
14. एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताओं को एक बार एनक्यूआर पर अपलोड किए जाने के बाद, इसे एपीआई एकीकरण (जिसका कार्य प्रगति पर है) के माध्यम से एसआईपी में उसी सूचना विशेषताओं के साथ उसी प्रारूप में पोर्ट किया जाएगा, तब तक योग्यताओं को एनक्यूआर से एसआईपी में पोर्ट करने की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी।

समिति ने एनएसक्यूएफ गठबंधन और अनुमोदित योग्यता के लिए संशोधित योग्यता कोड को मंजूरी दे दी और नई प्रणाली के स्पष्टीकरण और बेहतर समझ के लिए खुली चर्चा करने की भी सलाह दी (यदि आवश्यक हो)।

एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताओं को कोड प्रदान करने पर संशोधित दिशानिर्देश अनुबंध–III के रूप में संलग्न हैं।

, tsMk&05% i;Vu ,l,llh ¼Vh,p,l,llh½ dh ;kX;rk dh oSèkrk ds foLrkj ds fy, vuqjksèkA

15. समिति को अवगत कराया गया कि 31 अगस्त 2021 को आयोजित एनएसक्यूसी की 11वीं बैठक में टीएचएसएससी की तीन योग्यताओं को छह महीने के लिए मंजूरी दी गई थी, बशर्ते कि अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षण पूरा किया जाए और आगे विस्तार की मांग के लिए आयोजित प्रशिक्षण के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।
16. समिति को सूचित किया गया कि एसएससी ने आयोजित प्रशिक्षण/नामांकित छात्रों का विवरण प्रस्तुत किया है और 31 अगस्त 2024 तक नीचे उल्लिखित योग्यता के लिए वैधता के तीन साल के विस्तार पर विचार करने का अनुरोध किया है।
17. उस योग्यता का विवरण नीचे दिया गया है जिसके लिए एसएससी द्वारा वैधता के विस्तार के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया है:

क्रम संख्या	योग्यताओं का नाम	पिछले छह माह में किए गए प्रशिक्षणों की संख्या
1.	ड्यूटी मैनेजर	1715
2.	किचन हेल्पर	1013
3.	मीटिंग कॉन्फ्रेंस और इवेंट प्लानर	1238

प्रदाता निकाय के रूप में एसएससी द्वारा किए गए अनुरोध पर समीति ने ध्यान दिया और अनुमोदन प्रदान किया।

, tsMk 6% ,u,lD;w,Q lajs[k.k ds fy, tu f'k{k.k laLFkku }kjk ;kX;rk çLrqr djuk

18. समिति को अवगत कराया गया कि 'जेएसएस निदेशालय (डीजेएसएस)' ने एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए योग्यता 'सहायक ड्रेस मेकर' प्रस्तुत किया है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	योग्यता का नाम	व्यवसाय	प्रवेश आवश्यकताएं	अनुमानित घण्टे	एनएसक्यूएफ स्तर	प्रगति
1.	सहायक ड्रेस मेकर	पोशाक निर्माण	पढ़ने और लिखने की योग्यता	240	2	स्वरोजगार टेलर या सूक्ष्म उद्यमी

			न्यूनतम आयुः 15 वर्ष			

19. समिति को इस बात से भी अवगत कराया गया कि डीजेएसएस ने दोहरी श्रेणी के के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि की अभिव्यक्ति को सूचित किया है। इसके अलावा, डीजेएसएस ने संकेत दिया है कि वे कई योग्यताओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं और जब वे तैयार होंगी तो उन्हें एनएसक्यूसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के लिए उनकी योग्यता को संरेखित करने के लिए डीजेएसएस की पहल की सराहना की और योग्यता 'सहायक ड्रेस मेकर' को मंजूरी दी।

,tsMk la[;k 7% [ksy ,l,l lh ¼,lihbZ,Q,y&,llh½ dh 3 ;ksX;rkvksa dk vuqeksnu

20. समिति को अवगत कराया गया कि, 31 मार्च 2022 को आयोजित एनएसक्यूसी की 17वीं बैठक में, एसपीईएफएल–एससी ने तीन (03) योग्यताएं, अर्थात् 'आत्मरक्षा सहायक', 'प्रारंभिक आयु में शारीरिक गतिविधि सहायक' और 'प्राथमिक आयु में शारीरिक गतिविधि सहायक' एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की।
21. चूंकि इन तीन योग्यताओं को स्कूलों में चलाने का प्रस्ताव था, समिति का विचार था कि योग्यता का नाम योग्यता के उद्देश्य को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है और एबी को सीबीएसई और विभाग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने और 16वें एनएसक्यूसी कार्यवृत्त के अनुलग्नक IV के माध्यम से संशोधित मानकीकृत निर्दिष्ट एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार सभी तीन योग्यताओं के विवरण को फिर से तैयार करने की सलाह दी।
22. समिति को सूचित किया गया कि 12 अप्रैल 2022 को डीओएसईएल, पीएसएससीआईवीई और खेल एसएससी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। तीन संशोधित (03) योग्यताएं एनएसक्यूसी अनुमोदन के लिए संशोधनों के साथ प्रस्तुत की गईं। योग्यता का विवरण इस प्रकार हैः

वास्तविक नाम	स्तर	संशोधित नाम	संशोधित स्तर
1. आत्म रक्षा प्रशिक्षक	2	आत्म रक्षा सहायक	2
2. प्रारंभिक आयु में शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक	2	शारीरिक शिक्षा सहायक (प्रारंभिक वर्ष)	2
3. प्राथमिक आयु में शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक	4	शारीरिक शिक्षा सहायक (प्राथमिक वर्ष)	3

समिति ने ऊपर बताए अनुसार तीन (03) योग्यताओं को मंजूरी दी।

,tsMk&08% ,u,lD;w,Q lajs[k.k vkSj vuqeksnu ds fy, ;ksX;rk çLrqr djuk

23. समिति को अवगत कराया गया कि 1 फरवरी से 29 फरवरी, 2022 तक कुल 64 योग्यताएं (32 नई और 32 संशोधित) प्राप्त हुई थीं। इनमें से 61 योग्यताओं (30 नई और 31 संशोधित) को 18वीं एनएसक्यूसी बैठक में रखने पर विचार किया गया था। शेष 03 (02 नई और 01 संशोधित) योग्यताओं पर पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण इस एनएसक्यूसी के लिए विचार किया जा सका। 61 योग्यताओं पर समिति का निर्णय अगले पैरा में दिया गया है।

24- Mh thVh% lehfr ds le{k ikp ¼05½ ;kX;rkvks dk iLrqr fd;k x;k ftUgsa m|kx Hkkxhnkjksa ds lkFk Mh thVh ds ¶yxf'kh ,evks;w ds vrxr fodflr fd;k x;k FkkA

l'krZ eatwjh% çR;sd ;kX;rk ij fVIif.k;ka dk fooj.k uhps fn;k x;k g%

24-1 cs;jQqV rduhf'k;u vkSj [kku lot;j%

24.1.1 एनएसक्यूएफ लेवल 3 को लेवल–4 में संशोधित किया जाएगा।

24.1.2 कैरियर की प्रगति को विकसित और निर्धारित किया जाना है।

24-2 fQuVsd lsYl ,XthD;fVo ¼isVh,e½%

24.2.1 योग्यता का नामकरण ‘फिनटेक सेल्स एग्जीक्यूटिव (पेटीएम)’ से ‘फिनटेक सेल्स एग्जीक्यूटिव’ में बदला जाना चाहिए।

24.2.2 कैरियर की प्रगति विकसित और निर्धारित की जानी है।

24-3 LekVZ eSU;qQSDpfjax v,ijsVj ¼bysDVªkfuDl½ ¼ykok½%

24.3.1 कैरियर की प्रगति को विकसित किया जाना है।

24.3.2 योग्यता का नामकरण ‘स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर (इलेक्ट्रॉनिक्स) (लावा)’ से बदल कर ‘स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर (इलेक्ट्रॉनिक्स)’ किया जाएगा।

24-4 osc Msoyij ¼uoxq#dqy½%

24.4.1 योग्यता विकसित करने के लिए कैरियर की प्रगति।

24.4.2 योग्यता का नामकरण ‘वेब डेवलपर (नवगुरुकुल)’ से बदलकर ‘वेब डेवलपर’ कर दिया जाएगा।

25. उपरोक्त निर्धारित सुझावों के अलावा, समिति ने डीजीटी को संशोधित एनएसक्यूएफ स्तर, काल्पनिक घंटों के युक्तिकरण, करियर प्रगति पथ और तौर–तरीकों और प्रमाण पत्र के प्रकार के अनुपालन को प्रस्तुत करने की भी सलाह दी, जो सफल मूल्यांकन के बाद उम्मीदवारों को प्रदान किए जाएंगे।

26. डीजेएसएसः डीजेएसएस की एक (01) नई योग्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुमोदित की गई।

27. एनआईईएलआईटीः एक (01) नई योग्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई और स्वीकृत की गई।
28. कृषि एसएससीः कृषि क्षेत्र कौशल परिषद (एएससीआई) की एक (01) संशोधित और दो (02) नई योग्यताओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अनुमोदित किया गया।
29. ऑटोमोटिव एसएससीः तीन (03) नई योग्यताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गईं और स्वीकृत की गईं।
30. विमानन एसएससीः छह (06) संशोधित योग्यताएं और एक (01) नई योग्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई और इस शर्त के अधीन अनुमोदित की गई कि एक (01) योग्यता 'एयरपोर्ट वेयरहाउस समन्वयक' के लिए ओजेटी को 60 घंटे से 90 घंटे बढाने का सुझाव दिया जाए और एसएससी/प्रदाता संस्था (एबी) ने सिफारिश पर सहमति व्यक्त की।
31. फर्नीचर एसएससीः तीन (03) नई योग्यताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गईं और स्वीकृत की गईं।
32. लेदर एसएससीः चार (04) संशोधित योग्यताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गईं और अनुमोदित की गईं।
33. नासकॉमः तीन (03) नई योग्यताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गईं और अनुमोदित की गईं।
34. खनन एसएससीः एक (01) संशोधित योग्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुमोदित की गई।
35. खेल एसएससीः दो (02) संशोधित और एक (01) नई योग्यता को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें अनुमोदित किया गया।
36. एससीपीडब्ल्यूडीः विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) की तेरह (13) नई और चौदह (14) संशोधित योग्यताओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अनुमोदित किया गया।

18o ,u,lD;lh e ,u,lD;,Q lj[k.k vkj vuekknu d fy, j[kh xbl ;kX;rkvk dh lph vuyXud& IV d :i e lyXu gA

37-vè;{k dh vuefr l dkbl vfrfjDr fcn

37.1 टीएचएससी ने समिति को सूचित किया कि न्यूनतम आयु को परिभाषित करने वाले नए मानदंडों को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि न्यूनतम आयु पहले से ही प्रवेश मानदंड में अंतर्निहित है। यह इस शर्त के अधीन है कि जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित योग्यता के लिए, प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से 18 वर्ष होनी चाहिए या शिक्षार्थियों को ऐसी कार्य भूमिका पर प्रशिक्षण देने के लिए संबंधित कानूनों/नियमों के तहत परिभाषित किया जाना चाहिए।

37.2 समिति को आगे बताया गया कि पहले से स्वीकृत कार्य भूमिकाओं में कुछ क्षेत्रों में योग्यता में निर्धारित आयु सीमा के अनुसार कुछ प्रशिक्षुअ कुछ कार्य भूमिकाओं में

प्रवेश के लिए प्रतिबंधित होते हैं भले ही वे अन्य प्रवेश मानदंड को पूरा करते हों। इसके अलावा, यह बताया गया कि स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) पर प्रत्येक नौकरी की भूमिका के लिए आयु को दर्ज करना अनिवार्य है, जिसके कारण कुछ एसएससी को प्रशिक्षुओं के नामांकन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

समिति से अनुरोध किया गया था कि एनएसडीसी जो वर्तमान में स्किल इंडिया पोर्टल की देखरेख कर रहा है, को भी प्रशिक्षण केंद्रों के साथ उम्मीदवारों के नामांकन की सुविधा के लिए प्रत्येक नौकरी की भूमिका के लिए आयु को दर्ज करने की अनिवार्यता को हटाने की सलाह दी जा सकती है।

37.3 एनएसक्यूसी ने इस मुद्दे पर विचार किया और ऊपर बताए गए बिंदुओं पर 'सैद्धांतिक रूप से' सहमति व्यक्त की। एनएसक्यूसी ने निर्देश दिया कि सभी एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित योग्यताओं के लिए उस नौकरी की भूमिका/योग्यता के प्रवेश मानदंड के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा को उस नौकरी की भूमिका के लिए न्यूनतम आयु माना जा सकता है, जो इस शर्त के अधीन कि खतरनाक काम से संबंधित योग्यता के लिए प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से 18 वर्ष या संबंधित कानूनों/नियमों के अंतर्गत परिभाषित होनी चाहिए, जिसे योग्यता केहिस्से के रूप में ही शामिल किया जाएगा। इसके किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित एबी/एसएससी जिम्मेदार होगा। इस प्रकार, शिक्षार्थी की आयु के संबंध में एसआईपी पर अलग से प्रविष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए एनएसडीसी को सूचित किया जाना चाहिए।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

vu|yXud& I

प्रतिभागियों की सूची

राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) के सदस्य

1. डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी
2. श्री अतुल कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव, एमएसडीई
3. सुश्री नीना पाहुजा, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी
4. सुश्री विनीता अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी
5. श्री अतीश कुमार सिंह, जेएस, सचिव, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
6. श्री कुंदन कुमार, सलाहकार कौशल विकास विभाग, नीति आयोग
7. डॉ शिखा आनंद, निदेशक रोजगार, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
8. श्री राजेश, सहायक निदेशक प्रशिक्षण, मिशन निदेशक, जीओए
9. डॉ. बिश्वजीत साहा, निदेशक, सीबीएसई
10. डॉ नीतू भगत, एआईसीटीई
11. सुश्री कविता नारायणन, एमओएचएफडबल्यु
12. श्री ईश्वर सिंह, निदेशक सीएसटीएआरआई
13. सुश्री दीप्ति सक्सेना, एनएसडीसी
14. मोहम्मद अशरफ वानी, डीडी प्रशिक्षण, मिशन निदेशक, जम्मू और कश्मीर
15. श्री रामाश्रय सिंह, मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश
16. श्री ईश्वर सिंह, निदेशक सीएसटीएआरआई

,u lhohbZVh vfèkdkjh

1. कर्नल संतोष कुमार, निदेशक, एनसीवीईटी
2. लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन चौधरी, निदेशक, एनसीवीईटी
3. श्री सुशील अग्रवाल, निदेशक, एनसीवीईटी
4. श्री अमित शर्मा, सलाहकार, एनसीवीईटी
5. सुश्री सारिका दीक्षित, सलाहकार, एनसीवीईटी
6. श्री लव भारद्वाज, सलाहकार, एनसीवीईटी
7. श्री शुवदीप रे, सलाहकार, एनसीवीईटी
8. श्री अजीत जायसवाल, सलाहकार, एनसीवीईटी
9. सुश्री मीनल अरोड़ा, सलाहकार, एनसीवीईटी
10. श्री नवीन कुमार गुप्ता, सलाहकार, एनसीवीईटी
11. श्री विकास कुमार, सलाहकार, एनसीवीईटी

{k= dk'ky ifj"knk vkj vU; fgrèkkjdk d çfrfufèk

1. श्री रवींद्र सिंह, सीईओ एससीपीडब्ल्यूडी
2. श्री राजन बहादुर, सीईओ टीएचएसएससी
3. श्री दिनेश
4. श्री अपूर्व
5. श्री साकेत
6. डॉ. मंजू सिंह
7. सुश्री भारतू पल्लीवाल, फर्नीचर और फिक्सचर एसएससी
8. श्री रचित पालीवाल, विमानन एसएससी
9. डॉ. निहारिका निगम, एससीपीडब्ल्यूडी

vuqyXud&II

^,u,lD;w,Q lajsf[kr vkSj vuqeksfnr ;ksX;rkvksa dks u, ;ksX;rk dksM iznku djuk*

1. योग्यता/एनओएस को प्रदान किए जाने वाले कोड के दो तत्व होंगेः

क) स्थिर/निर्धारित/स्थायी घटकः यह योग्यता/एनओएस को निर्दिष्ट एक अद्वितीय और स्थिर संख्या है जो योग्यता वैध रहने तक एक समान रहेगी। इसका उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान योग्यता/एनओएस की पहचान करने के लिए किया जाएगा। विभिन्न पोर्टलों पर रिकॉर्ड रखने और अपलोड करने के लिए एक ही कोड का उपयोग किया जाएगा। इस कोड में निम्नलिखित घटक होंगेः

i) प्रकार – कई प्रकार की योग्यताएं और एनओएस हैं जिन्हें नीचे दिए गए विभिन्न कोडों द्वारा दर्शाया जाएगाः

izdkj	mi&izdkj	dksM
;ksX;rk	सामान्य	क्यू
	बहु–कौशल	क्यूएम
	विभिन्न क्षेत्रों में	क्यूसी
	फ्लेक्सी	क्यूएफ
	प्रशिक्षुता	क्यूए
,uvks,l	सामान्य	एन
	सूक्ष्म प्रामाणिकताएं (माइक्रो/नैनो एनओएस)	एनएम
	होरिजोंटल एनओएस	

ii) योग्यता का एनएसक्यूएफ स्तर– यह एलएक्स (1 से 8 के बीच एक्स) के रूप में दिखाई देगा।

iii) सेक्टर – एनसीओ वर्गीकरण के अनुसार सेक्टरों का नाम।

iv) एक समग्र रनिंग सीरियल नंबर – उस समग्र अनुक्रम को दर्शाने वाली संख्या जिस पर इसे अनुमोदित किया गया है, जो वास्तव में अब तक स्वीकृत योग्यताओं की कुल संख्या को दर्शाता है।

[k½ ,d xfr'khy@cnyus okyk ?kVd% ये अतिरिक्त वर्णनात्मक घटक हैं जिन्हें योग्यता के प्रत्येक स्थिर कोड से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/महत्वपूर्ण योग्यता विवरण प्रदान करने के लिए जोड़ा जाएगा। यह कोड एनक्यूआर पर स्थिर कोड के ऊपर दिखाई देगा जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में बेहतर समझ के लिए कोड के स्थिर और गतिशील भागों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकेगा। कोड के गतिशील घटक इस प्रकार होंगेः

i) एनएसक्यूएफ के मूल संरेखण और अनुमोदन या संशोधन का वर्ष – YYYY प्रारूप में।

ii) योग्यता का संस्करण अर्थात इस योग्यता को बाद में कितनी बार संशोधित किया गया है और एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित किया गया है – यह वीएक्स में दिखाई देगा (एक्स 1 से लेकर जितनी बार योग्यता को संशोधित किया गया है, तक होगा)

iii) 20 प्रति लचीलेपन को दर्शाने वाला संस्करण यदि प्रदान करने वाले निकाय (एबी)/ अपनाने वाले निकाय द्वारा योग्यता में पेश किया गया है – यह वीएक्स (वाई) में परिलक्षित होगा जहां वाई फ्लेक्सी योग्यता प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित संस्करण को दर्शाता है।

iv) प्रदान करने वाले निकाय का नाम जिसने योग्यता विकसित की।

v) ऐच्छिक की संख्या (ऐच्छिक योग्यता की पेशकश के मामले में) – इसे ईएक्स के रूप में दर्शाया जाएगा (1 से लेकर उपलब्ध ऐच्छिक की संख्या तक एक्स)

x½ ,uvk,l d fy, dkM½ इसी तरह एनओएस के लिए कोड भी ऊपर वर्णित अनुसार स्थिर और गतिशील तत्वों के साथ प्रदान किए जाएंगे।

डी) एनक्यूआर पर विचारः उपरोक्त कोड में रेखांकित भाग योग्यता का स्थिर कोड है और शेष गतिशील कोड है जो केवल एनक्यूआर पर दिखाई देगा। गतिशील कोड के प्रत्येक घटक के साथ एनक्यूआर पर एक ड्रॉप–डाउन मेनू योग्यता और एनओएस के बारे में जानकारी की सुविधा प्रदान करेगाः

;kX;rk d fy,	,uvk,l d fy,
वास्तविक अनुमोदन का वर्ष	वास्तविक अनुमोदन का वर्ष
एनओएस की संख्या (अनिवार्य या वैकल्पिक)	अवधि (घण्टे)
अवधि (घण्टे)	प्रकार अर्थात अनिवार्य या वैकल्पिक
वैद्यता अवधि के साथ पिछला संस्करण	वैद्यता अवधि के साथ पिछला संस्करण
अपनाने वाले निकाय का नाम (अपनाए जाने के मामले में)	अपनाने वाले निकाय का नाम (अपनाए जाने के मामले में)
एच्छिक का विवरण (यदि लागू हो)	योग्यता का नाम जहां इस एनओएस का प्रयोग किया जा रहा है
फ्लेक्सी योग्यता के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित संस्करणों का विवरण	

vuqyXud–III

18वीं एनएसक्यूसी बैठक में संरेखण और अनुमोदन के लिए रखी गई योग्यताओं की सूची

Øe la[;k	nkf[ky djus okys fudk; dk uke	;kX;rk dk uke	ubZ@la'kksf/kr	,u,lD;w,Q	vuqeksnu dh fLFkfr
1.	एनआईईएलआईटी	सर्टिफाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एसोसिएट 'अपस्किलिंग'	नई	4	अनुमोदित
2.	डीजीटी	बेयरफुट तकनीशियन	नई	3	सशर्त अनुमोदित
3.	डीजीटी	माइन सर्वेयर	नई	3	सशर्त अनुमोदित
4.	डीजीटी	फिनटेक सेल्स एग्जीक्यूटिव	नई	3	सशर्त अनुमोदित
5.	डीजीटी	स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर (इलेक्ट्रॉनिक्स)	नई	4	सशर्त अनुमोदित
6.	डीजीटी	वेब डेवलपर (नवगुरुकुल)	नई	4	सशर्त अनुमोदित
7.	जन शिक्षण संस्थान	सहायक पोशाक निर्माता	नई	2	अनुमोदित
8.	भारतीय कृषि कौशल परिषद	धान किसान	संशोधित	3	अनुमोदित
9.	भारतीय कृषि कौशल परिषद	चाय कारखाना सहायक	नई	4	अनुमोदित
10.	भारतीय कृषि कौशल परिषद	चाय निर्माता (उत्पादन)	नई	4	अनुमोदित
11.	ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद	भारी वाणिज्यिक वाहन सेवा तकनीशियन	नई	4	अनुमोदित
12.	ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद	फ्लीट टेलीमैटिक ऑपरेटर	नई	4	अनुमोदित
13.	ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद	ऑटोमोटिव उत्पाद परीक्षण तकनीशियन	नई	4	अनुमोदित
14.	एयरोस्पेस और एविएशन क्षेत्र कौशल परिषद	ड्रोन मल्टी रोटर ऑपरेटर	नई	4	अनुमोदित
15.	एयरोस्पेस और एविएशन क्षेत्र कौशल परिषद	एयरपोर्ट सेफ्टी क्रू	संशोधित	4	अनुमोदित
16.	एयरोस्पेस और एविएशन क्षेत्र कौशल परिषद	एयरोस्पेस स्ट्रक्चरल फिटर	संशोधित	3	अनुमोदित
17.	एयरोस्पेस और एविएशन क्षेत्र कौशल परिषद	एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स तकनीशियन	संशोधित	4	अनुमोदित
18.	एयरोस्पेस और एविएशन क्षेत्र कौशल परिषद	एयरोस्पेस सीएनसी मशीनिस्ट	संशोधित	4	अनुमोदित
19.	एयरोस्पेस और एविएशन क्षेत्र कौशल परिषद	एयरोस्पेस कम्पोजिट तकनीशियन	संशोधित	4	अनुमोदित

20.	एयरोस्पेस और एविएशन क्षेत्र कौशल परिषद	एयरपोर्ट वेयरहाउस समन्वयक	संशोधित	4	अनुमोदित
21.	फर्नीचर और फिटिंग कौशल परिषद (एफएफएससी)	सहायक इंटीरियर डिजाइनर (ऐच्छिक के साथ) आवासीय रसोई वाणिज्यिक आतिथ्य शैक्षणिक संस्थान खुदरा फिटआउट और प्रदर्शनियां	नई	4	अनुमोदित
22.	फर्नीचर और फिटिंग कौशल परिषद (एफएफएससी)	आंतरिक साज–सज्जा विशेषज्ञ	नई	5	अनुमोदित
23.	फर्नीचर और फिटिंग कौशल परिषद (एफएफएससी)	सहायक परियोजना प्रबंधक (आंतरिक डिजाइन) (ऐच्छिक के साथ) आवास और रसोई वाणिज्यिक और अस्पताल शैक्षणिक संस्थान आतिथ्य खुदरा फिटआउट और प्रदर्शनी	नई	6	अनुमोदित
24.	चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद	कटर – फुटवियर	संशोधित	3	अनुमोदित
25.	चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद	प्री–असेंबली ऑपरेटर	संशोधित	3	अनुमोदित
26.	चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद	स्काइविंग ऑपरेटर – फुटवियर	संशोधित	3	अनुमोदित
27.	चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद	सिलाई ऑपरेटर – फुटवियर	संशोधित	3	अनुमोदित
28.	नासकोम	3डी प्रिंटिंग सलाहकार	नई	6	अनुमोदित
29.	नासकोम	3डी प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर	नई	5	अनुमोदित
30.	नासकोम	3डी प्रिंटिंग मॉडलिंग इंजीनियर	नई	5	अनुमोदित
31.	खनन एसएससी	कंप्रेसर ऑपरेटर	संशोधित	4	अनुमोदित
32.	खेल क्षेत्र कौशल	शारीरिक शिक्षा सहायक (प्रारंभिक वर्ष)	संशोधित	3	अनुमोदित
33.	खेल क्षेत्र कौशल	शारीरिक शिक्षा सहायक (प्राथमिक वर्ष)	संशोधित	3	अनुमोदित
34.	खेल क्षेत्र कौशल	आत्मरक्षा सहायक	नई	3	अनुमोदित
35.	एससीपीडबल्युडी	सिलाई मशीन ऑपरेटर–पीडब्ल्यूडी एलडी	संशोधित	3	अनुमोदित
36.	एससीपीडबल्युडी	सिलाई मशीन ऑपरेटर पीडबल्युडी एसएचआई		3	अनुमोदित
37.	एससीपीडबल्युडी	माइक्रोफाइनेंस एक्जीक्यूटिव–पीडब्ल्यूडी एलडी	नई	3	अनुमोदित

38.	एससीपीडबल्युडी	फिटर–मैकेनिकल असेंबली–पीडब्ल्यूडी एलडी	नई	3	अनुमोदित
39.	एससीपीडबल्युडी	फिटर–मैकेनिकल असेंबली–पीडब्ल्यूडी एसएचआई	नई	3	अनुमोदित
40.	एससीपीडबल्युडी	बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और बिजनेस सहायक–पीडब्ल्यूडी एलडी	नई	4	अनुमोदित
41.	एससीपीडबल्युडी	क्रोचेट लेस टेलर–पीडब्ल्यूडी एलडी	नई	3	अनुमोदित
42.	एससीपीडबल्युडी	क्रोचेट लेस टेलर–पीडबल्युडी एसएचआई	नई	3	अनुमोदित
43.	एससीपीडबल्युडी	हैंड क्रोचेट लेस मेकर–पीडब्ल्यूडी एलडी	नई	3	अनुमोदित
44.	एससीपीडबल्युडी	हैंड क्रोचेट लेस मेकर–पीडब्ल्यूडी एसएचआई	नई	3	अनुमोदित
45.	एससीपीडबल्युडी	भूपरिवहन सहयोगी–पीडब्ल्यूडी एलडी	नई	3	अनुमोदित
46.	एससीपीडबल्युडी	भूपरिवहन सहयोगी–पीडब्ल्यूडी एसएचआई	नई	3	अनुमोदित
47.	एससीपीडबल्युडी	सामान पैकेजिंग मशीन ऑपरेटर–पीडब्ल्यूडी–एलडी	नई	4	अनुमोदित
48.	एससीपीडबल्युडी	रिटेल स्टोर संचालन सहायक–पीडब्ल्यूडी एलडी	संशोधित	2	अनुमोदित
49.	एससीपीडबल्युडी	रिटेल स्टोर संचालन सहायक–पीडब्ल्यूडी एसएचआई	संशोधित	2	अनुमोदित
50.	एससीपीडबल्युडी	रिटेल ट्रेनी एसोसिएट–पीडब्ल्यूडी एलडी	संशोधित	3	अनुमोदित
51.	एससीपीडबल्युडी	रिटेल ट्रेनी एसोसिएट–पीडब्ल्यूडी एसएचआई	संशोधित	3	अनुमोदित
52.	एससीपीडबल्युडी	रिटेल ट्रेनी एसोसिएट–पीडब्ल्यूडी एलवी	संशोधित	3	अनुमोदित
53.	एससीपीडबल्युडी	खुदरा बिक्री सहयोगी–पीडब्ल्यूडी एलडी	संशोधित	3	अनुमोदित
54.	एससीपीडबल्युडी	खुदरा बिक्री सहयोगी–पीडब्ल्यूडी एसएचआई	संशोधित	3	अनुमोदित
55.	एससीपीडबल्युडी	रैपर–पीडब्ल्यूडी एसएचआई	संशोधित	3	अनुमोदित

56.	एससीपीडबल्युडी	टू शाफ्ट हैंडलूम बुनकर–पीडब्ल्यूडी एसएचआई	संशोधित	3	अनुमोदित
57.	एससीपीडबल्युडी	फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव–पीडब्ल्यूडी एलडी	नई	4	अनुमोदित
58.	एससीपीडबल्युडी	फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव–पीडब्ल्यूडी एलवी	नई	4	अनुमोदित
59.	एससीपीडबल्युडी	कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव (कॉल सेंटर) एलडी	नई	4	अनुमोदित
60.	एससीपीडबल्युडी	कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव (कॉल सेंटर) वीआई	नई	4	अनुमोदित
61.	एससीपीडबल्युडी	कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव (कॉल सेंटर) एलवी	नई	4	अनुमोदित

****